

Order Sheet [Contd]

Case No - B.A – /2017

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
14-02-2017	<p>परिवादी द्वारा श्री ए०के० श्रीवास्तव अधिवक्ता। आवेदक/आरोपी जितेन्द्रसिंह की ओर से श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता द्वारा अपना बकालात नामा पेश कर साथ ही प्रकरण में आवेदक/आरोपी की ओर से आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 44(2) जा.फौ. वास्ते समर्पण पेश किया गया।</p> <p>उपरोक्त विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक/आरोपी के विरुद्ध विद्युत परिवादी की ओर से धारा 135(1) विद्युत अधिनियम परिवादपत्र पेश किया गया है जिसमें आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी है। आरोपी प्रकरण में वांछित है उसे अभिरक्षा में लिया जाता है।</p> <p>आरोपी का जेल वारंट बनाकर उपजेल गोहद भेजा जावे।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ पेश कर निवेदन किया कि आवेदक दिनांक 20.04.2016 को नियम पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था और न ही अपनी अनुपस्थिति की सूचना अपने अभिभाषक को दे पाया था। इस कारण न्यायालय के द्वारा उसके जमानत मुचलके उन्मोचित कर उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। आवेदक न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ है और भविष्य में नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा। उसके द्वारा 5000/- रूपए विद्युत के जमा कर दिए हैं। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आवेदक/आरोपी के विरुद्ध परिवादी विद्युत विभाग के द्वारा धारा 135(1) विद्युत अधिनियम का परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें कि विचारण के दौरान दिनांक 20.04.2016 को अनुपस्थित हो जाने से उसके जमानत मुचलके उन्मोचित किए गए हैं। आरोपी के द्वारा आज न्यायालय में स्वतः उपस्थित होकर समर्पण किया गया है और</p>	

उसके द्वारा 5000/- रूपए किस्त के रूप में जमा करने की रसीद भी पेश की गई है। उसने यह भी व्यक्त किया कि वह शेष राशि शीघ्र जमा कर देगा।

विचारोपरांत उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए आवेदक/आरोपी की ओर से न्यायालय की संतुष्टि योग्य 35,000/- (पैंतीस हजार रूपये) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र इस आशय का पेश हो कि वह प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा इस शर्त के साथ पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोड़ा जाये। आरोपी के पूर्व मुचलके से 500/- रूपए राजसात किए जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रकरण आरोप पर विचार हेतु दिनांक 28.02.2017 को पेश हो।

(डी.सी.थपलिया)

विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)